# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गणपतसिंह राठौड केयर ऑफ करणसिंह सहलोत निवासी ईमली वाले बालाजी मंदिर के पास नया बाजार कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलांट

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ

– रेस्पोण्डेंट

**किस्म मुकदमा**– अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 08/2019**

| कमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 19.03.2019**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ के द्वारा जरिये पत्रांकः–सू.का अधि./2019/357–58 दिनांक 19.03.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी के द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही होने से उक्त आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा क्रमशः खनिज अभियंता राजसमन्द, तहसीलदार, कुम्भलगढ, तहसीलदार, राजसमन्द, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमन्द, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्भलगढ को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के तहत संबंधित विभाग को अन्तरण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्टानुसार चाही गई वांछित सूचना खनिज अभियंता राजसमन्द, तहसीलदार, कुम्भलगढ, तहसीलदार, राजसमन्द, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजसमन्द, विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्भलगढ से संबंधित होने से अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। इस संबंध मे प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br>**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**<br>**(जिला कलक्टर) राजसमन्द** | |

न्यायालय जिला कलक्टर